न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/407

1. जगन्नाथ पुत्र श्री भूरा जाति माली ।
2. जुवाहरी लाल पुत्र श्री भूरा जाति माली मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. नारायणी बाई पत्नी जुवाहरी लाल जाति माली ।
   2/2. भगवान पुत्र श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/3. महावीर पुत्र श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/4. गोपाल पुत्र श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/5. सुखदेव पुत्र श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/6. घीसी बाई पुत्री श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/7. कैलाश पुत्री श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/8. सुगना बाई पुत्री श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
   2/9. गंगाबाई पुत्री श्री जुवाहरीलाल जाति माली ।
3. रामलाल पुत्र श्री धन्ना जाति माली ।
4. मोहन पुत्र श्री धन्ना जाति माली निवासीगण ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. किशन चन्द्र पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण ।
2. लक्ष्मीचन्द्र पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण ।
3. हेमराज पुत्र श्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण ।
4. धनकंवर पुत्री श्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण ।
5. मंजूबाई पुत्री श्री दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण ।
6. जशोदा पुत्री श्री औंकार लाल जाति ब्राह्मण ।
7. भंवानी शंकर पुत्र श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. कमलेश देवी पत्नी श्री भवानीशंकर जाति ब्राह्मण ।
   7/2. रघुनन्दन पुत्र श्री भवानीशंकर जाति ब्राह्मण ।
   7/3. अश्वनी कुमार पुत्र श्री भवानीशंकर जाति ब्राह्मण ।
   7/4. प्रियंका पुत्री श्री भवानीशंकर जाति ब्राह्मण ।
8. नवल किशोर पुत्र श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण ।
9. कमला बाई पुत्री श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण ।
10. बरजी बाई पुत्री श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण ।
11. सीताबाई पुत्री श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण ।
12. प्रेमबाई पुत्री श्री चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1823 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1833 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी कम 1 से 5 का 3/4 हिस्सा निहित है व वादी कम 06 का 1/12 व वादी कम 07 से 12 का 1/6 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है । वादग्रस्त आराजी की तत्कालीन खातेदार महिला होने से उक्त भूमि को आधौली पर काश्त करवाती थी । वादीगण ने सेटलमेंट के समय संवत् 2032 में भूमि पर से आधौली प्रतिवादीगण से छुडाकर वादी कम 1 से 5 के पिता दुर्गालाल उर्फ दुर्गाशंकर खेती करने लगे और उनकी मृत्यु होने के बाद वादीगण की सहमति से वादी किशनचन्द्र खेती करने लग गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर जबरन अप्रेल 2014 में भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1823, 183 पर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे एवं वादग्रसत आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाये जाने तक वादीगण को कृषि लाभ से वंचित करने के हर्जाने स्वरूप 5000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिफसल प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लैण्ड होल्डर स्टेट ऑफ राजस्थान को पक्षकार बनाये बिना वादीगण का वाद पोषनीय नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट कैम्प में उपस्थित हुए थे व उनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये थे तदुपरान्त राजीनामा नहीं हेा सकने पर अपीलान्ट को आगामी पेशी अगले कैम्प में देने हेतु कहा गया । अपीलान्ट ने उसके उपरान्त दिनांक 14.08.2015 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया तो उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दी गई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रखते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का कब्जा संवत् 2015 से पूर्व का भी साबित है । उक्त दस्तावेज 30 वर्ष से भी पुराना दस्तावेज है जो साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजनीमा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलधीन निर्णय एंव डिक्री जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर भी करवाये गये हैं । अपीलान्ट आधौली पर काश्त करना बताते हैं । आधौली पर काश्त परमिजिव पजेशन होता है, रेस्पोडेन्ट खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के बाबत् वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाबदावा में लम्बित थी और इसे दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी कम 1 जगन्नाथ, प्रतिवादी कम 2 जुवाहरी लाल, वादी कम 1 किशनचन्द्र, वादी कम 3 हेमराज, प्रतिवादी कम 3 रामलाल व प्रतिवादी कम 4 मोहन की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी गुणावगुण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा